(To be published in Part IV of the Delhi Gazette Extraordinary)

Govt. of NCT of Delhi
Department of Social Welfare
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate, New Delhi- 110 002

F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/ 1880-1891 Dated: 4/11/09

NOTIFICATION

F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/:- In supercession of 'Delhi Unemployment Allowance & Subsistence Allowance Scheme for Persons with Special Needs, 2008' published vide notification no. F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/9164-174 dated 17 April, 2008, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following rules for assistance of the caregivers of children with special needs and unemployed persons with disabilities.

1. **Short Title, Extent and Commencement:**
   (a) These rules may be called **'Financial Assistance to Persons with Special Needs, 2009'**.
   (b) These rules shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
   (c) These rules shall come into force with effect from date of notification.

2. **Aims and Objectives:**
   1. To facilitate the care of children with special needs, acknowledging the high cost of care giving.
   2. To facilitate training and employability of persons with disability, so that they may fulfill their role and potential in society and lead a life of dignity.
   3. To help ensure survival of the person with special needs and their family.

3. **Definitions:**

In this scheme unless the context otherwise requires,-

a. "Act" means the 'Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995' (1 of 1996)

b. "Applicant" means 'a person with special needs', between 0- below 60 years of age, who has applied for the financial assistance under this scheme or his/her parent(s), or the legal guardian or spouse or an adult child of the person;

c. "Application form" means form prescribed under these rules.

d. "Competent authority" means the authority competent to sanction the financial assistance under paragraph 6;

e. "Family" means parents or if the parent(s) are not alive then legal guardian in case of the minor, unmarried, unemployed disabled person(s). In case of married disabled persons, it means wife /husband and minor or disabled adult children solely dependant on him/her.

f. "Financial Assistance" means recurring financial aid till the age of below 60 years or the death of the person, as prescribed in these rules.

g. "Guardian" means as defined in the 'Handbook on Legal Guardianship' referred to in 'The National Trust'.

h. "Investigator" means an official appointed by the Department of Social Welfare.

i. "Person with special needs" means a person suffering from not less than forty per cent of any disability as certified by a medical authority;

j. "Disability" means-

(i) **Blindness** – refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:-

a. Total absence of sight; or

b. Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or

c. Limitation of the field of vision subtending angle of 20 degree or worse;

(ii) **Low vision** – means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device;

(iii) **Leprosy-cured** – means any person who has been cured of leprosy but is suffering from:-

a) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

b) Manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

c) Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly

(iv) **Hearing impairment** – means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

(a) **Locomotors disability** – means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.

(b) **Cerebral palsy-** means a group of non-progressive condition of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development.

(c) **Autism-** means a condition of uneven skill development primarily affecting the communication and social abilities of a person, marked by repetitive and ritualistic behaviour.

(d) **Mental retardation-** means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, which is specially characterized by sub normality of intelligence.

(e) **Mental illness-** means any diagnosable behavioural, mood, thought, perception or cognitive disorder that interferes with or limits a person's ability to live, work, learn and participate fully in his or her community.

ii. दिल्ली सरकार या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी अपंगता प्रमाण पत्र की प्रति।

(ग) फार्म में दी गई उसके/उसकी परिवार की आय तथा रोजगार स्थिति संबंधी आवेदक द्वारा स्वघोषणा।

(घ) यदि आवेदक अपने फार्म सीधे ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करते है तो सारे दस्तावेज स्वप्रमाणित होंगे। यदि जीआरसी–एसके/डीआरसी के माध्यम से आवेदन–पत्र दिये जा रहे है तो जीआरसी–एसके या डीआरसी समन्वयको द्वारा।

(ङ) यदि का निवास के संबंध में प्रमाण आवेदक के पास कोई "प्रलेखन प्रमाणन पत्र" उपलब्ध नहीं है।

(i) इसके अलावा जीआरसी–एसके समन्वयक द्वारा प्रतिनियुक्त क्षेत्रस्थ स्टाफ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आवेदक के ठहरने की अवधि संबंधी क्षेत्र के कम से कम निम्नलिखित के बयान दर्ज करेगा।

(ii) यदि आवेदक सीधे ही समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन दे रहा हो। इसी प्रकार की स्थिति में, तो आवेदक डीएसडब्ल्यूओ/डीएसडब्ल्यूओ द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी के सामने निम्नलिखित सूची में उल्लिखित कोई दो गवाहियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

क. जनप्रतिनिधि जैसे क्षेत्र का सांसद, क्षेत्र का विधायक,
ख. आवासीय कल्याण संघ का अध्यक्ष अथवा महासचिव,
ग. आवेदक के दो पड़ोसी उनके संपर्क विवरण सहित,
घ. पंजीकृत महिला एसएचजीएस/महिला मंडल की अध्यक्ष अथवा महासचिव,
ङ. आईसीडीएस पर्यवेक्षक/क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता,
च. केन्द्र/दिल्ली सरकार का राजपत्रित अधिकारी।

(iii) गवाह के बयान के साथ फोटो पहचान के लिये सम्बद्ध प्रलेख, निवास स्थान और गवाहों के ठहरने की अवधि आवेदन–पत्र के साथ प्रमाण भी संलग्न करने होंगे। यह भी साफ–साफ दर्शाया हो कि गवाह स्वयं अनेक वर्षों से उसी क्षेत्र में रह रहे है जितने वर्षों से उन्होंने आवेदक को जानने का दावा किया है। यह सब पर लागू होगा, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक जैसे जन–प्रतिनिधित्यों के अलावा।

6. **सहायता का सत्यापन एवं स्वीकृति**

सम्बद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी जी आर सी एस के/डीआरसी की सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सहायता के भुगतान के सत्यापन एवं संस्वीकृति के लिये तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की विषय वस्तु की जांच पड़ताल के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे। जीआरसीएसके/डीआरसी द्वारा प्रस्तुत सभी मामलों के 5प्रतिशत मामले या संदेहास्पद मामलों में सक्षम प्राधिकारी विभागीय अन्वेषकों या अन्य अधिकारियों या प्रयोजन के लिये विशेष रूप से प्रतिनियुक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता से सत्यापन करवा सकते है।

7. **सहायता राशि व भुगतान पद्धति**

(क) इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के अनुसार लाभग्राही के बैंक/डाक घर खाते में 1000/–रुपये (एक हजार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंकके ईसीएस के माध्यम से भत्ते को त्रैमासिक रूप से छोड़ा जाएगा।

(ख) सहायता उसी माह से भुगतान योग्य हो जाएगी जब से यह स्वीकृत हुई है।

8. **रोजगार प्राप्त करने/लाभग्राही की अपंगता स्थिति में परिवर्तन :–**

(i) यदि लाभग्राही कोई रोजगार प्राप्त करता है, नौकरी करने लगता है तो लाभग्राही को भत्ता बंद कराने के लिये ऐसी नौकरी मिलने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(ii) इसी प्रकार यदि लाभग्राही का अपंगतता स्तर चालीस प्रतिशत से कम हो जाता है तो लाभग्राही को भत्ता बंद करने के लिये ऐसी स्थिति के परिवर्तन संबंधी एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

4. Eligibility:

The applicant shall be entitled for financial assistance on the fulfillment of following conditions:-

- (v) The applicants shall be between the ages 0-60 years;
- (vi) The applicant shall be a resident of the National Capital Territory of Delhi for at least five years preceding the date of submission of application;
- (vii) The applicant should have disability not less than forty per cent of any disability as defined under Section 3 (1) (b) above;
- (viii) The applicant shall not have the annual family income more than Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand only) from all sources;
- (ix) The applicant shall have a 'singly-operated' account in any Bank for receiving the payment through electronic clearing system. This provision may be relaxed in the case of minors, mentally challenged applicants or those who come under the purview of Legal Guardianship as per rules of National Trust.

5. Application for financial assistance:

(a) An application for financial assistance under these rules shall be made on prescribed form, which shall be available from GRC-SK, Deputy Commissioner's Office (District Resource Centre), the office of the District Social Welfare Officer, area MLA/ MP, Financial Assistance Section, Department of Social Welfare, GNCT of Delhi, GLNS Complex, Delhi Gate, New Delhi or electronically downloaded from official websites of Samajik Suvidha Sangam or Department of Social Welfare.

(b) The applicant shall submit the duly filled application form to the concerned District Social Welfare Officer/ GRC-SK/ DRC Unit, alongwith the following documents:-

i. Proof of residence, which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi. Any one of the following documents of any of the family members (as defined above) only may be submitted for residence proof-

(1) Ration card
(2) Voter card
(3) Passport
(4) Driving license
(5) Birth certificate issued by MCD/ Registrar- Births & Deaths
(6) Death certificate issued by MCD/ Registrar- Births & Deaths
(7) Insurance policy document
(8) Immunization card of the family member
(9) Medical records of treatment in Delhi
(10) Electricity Bill
(11) Water Bill
(12) Telephone bill
(13) Gas connection receipt
(14) Bank passbook
(15) Caste certificate
(16) Student I-card

(17) Service identity card of public/ private sector company/ established concern
(18) Freedom fighter identity card
(19) Pension document
(20) Ex-serviceman dependant certificate
(21) Property document
(22) Any other which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi

ii. A copy of disability certificate issued by the Medical Board of the notified Hospitals of Govt. of NCT of Delhi or Govt. of India.

(c) A self-declaration by the applicant regarding his/her family income & employment status as given in the form.

(d) All documents shall be self-attested in case of applicants submitting their forms directly to District Social Welfare Officer and by the GRC-SK or DRC Coordinators, if the application is being made through GRC-SK/ DRC.

(e) In case **'No Documentary Evidence'** is available with the applicant in r/o proof of residence, proof of unemployment-

i) The field staff deputed by GRC-SK Coordinator shall record statements of at least two of any of the following persons from the area about the applicant.

ii) In case the applicant is applying directly to the District Social Welfare Officer, in a similar situation, the applicant will need to produce any of the two witnesses from the following list in front of the DSWO/ any official deputed by the DSWO for the said purpose.

a. Public representative such as MP of the area, MLA of the area
b. President or General Secretary of RWA of the locality
c. Two neighbours of the applicant with their contact details
d. Registered women SHGs'/ Mahila Mandals' President or General Secretary
e. ICDS Supervisors/ ASHA workers of the area
f. Gazetted Officer of the Central/ Delhi Govt.

iii. Along with the witness's statement, the relevant document for the photo identity proof, residence and length of stay for the witnesses shall also have to be appended with the application, clearly showing that the witnesses themselves have been around in the same area for the number of years they claim to have known the applicant. This would apply for all except Public representative such as MP of the area, MLA of the area.

6. Verification and sanction of assistance:

The concerned District Social Welfare Officer shall be the competent authority for verification and sanction of the payment of unemployment allowance on the basis of survey report of GRC-SK/ DRC as also by screening the contents of the documents submitted. As a test check, in 5% of all cases submitted by the GRC-SK/DRC or in doubtful cases, the Competent Authority may get the verification conducted through the departmental investigators or other officials or Anganwadi workers specially deputed for the purpose.

7. Quantum of assistance & Mode of payment:

a. Subject to the fulfillment of the provisions of the scheme, an allowance will be remitted quarterly in the bank account of the beneficiary @ Rs. one thousand per month per head through ECS of RBI.

b. The assistance shall become payable from the month from which it is sanctioned.

8. In case of attaining employment/ change of disability status of the beneficiary:

i) If the beneficiary accepts/ joins any employment, it will be mandatory upon the beneficiary to inform the Competent Authority within one month of attaining such a job, for discontinuation of allowance.

ii) Similarly, if the disability level of the beneficiary becomes less than forty per cent, it will be mandatory for the beneficiary to inform the Competent Authority within one month of change of status, for discontinuation of allowance.

iii) If the beneficiary fails to do so, the Competent Authority shall have the right to recover the amount of allowance remitted since the attainment of the aforesaid employment/ change of disability status.

9. Stopping of the Financial Assistance:

1. The Competent Authority shall have the right to stop payment of assistance, if at any stage it is found that it was sanctioned on furnishing of false information or the conditions for which the allowance was granted no longer exists.
2. Also, if the assistance was sanctioned on furnishing of false documents, penal action shall be initiated and appropriate liability levied against people furnishing false documents.
3. If a person resorts to professional begging, i.e. if the person has been apprehended and warned or any other proceedings conducted by the court in this regard against him/ her, the assistance shall be forfeited
4. Assistance shall cease to be payable on the death of the beneficiary and if the person dies before receiving assistance for a particular period, the same shall lapse.

10. Change of Address:

1. The applicant shall intimate any change of address alongwith proof of residence to the Competent Authority within one month of such change.
2. Persons shifting to a place outside Delhi permanently shall not be eligible for this assistance.

11. Appellate Authority:

In case of any grievance, the applicant may appeal to the Director, Deptt. of Social Welfare for redressal of his /her grievance in this regard. The decision of the Director shall be final.

12. Miscellaneous:

a) The beneficiaries who attain the age of 60 years shall automatically be transferred to the Old Age Pension Scheme;

b) If the applicant has already taken one-time assistance under the scheme 'Financial Assistance to Socially and Physically Disadvantaged- Old & Infirm Persons' they can still avail of assistance under this scheme if they fulfill the other eligibility criteria;
c) The beneficiaries of the scheme shall not be debarred from seeking assistance in the following schemes of financial assistance- Ladli, NFBS, Jan Shree Beema Yojana, Widows' daughter marriage and/or any other financial assistance scheme in existence in the Department of Social Welfare and Women and Child Development simultaneously, provided they fulfill the norms.
d) The Scheme would be reviewed and evaluated every three years.

BY ORDER AND IN THE NAME OF
THE LT. GOVERNOR OF THE NCT OF DELHI

(Debashree Mukherjee)
Secretary, Social Welfare

F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/ 1880-91 Dated: 4/11/09

Copy forwarded for information to:-

(v) Secretary to the Lt. Governor of Govt. of NCT of Delhi
(vi) Secretary to the Chief Minister of Govt. of NCT of Delhi
(vii) Secretary to the Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
(viii) Secretary to the Dy. Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
(ix) Secretary to the Minister of Food & Supply, Govt. of NCT of Delhi
(x) Secretary to the Minister- Finance, Govt. of NCT of Delhi
(xi) Secretary to the Minister Industries, Govt. of NCT of Delhi
(xii) Secretary to the Minister Education, Govt. of NCT of Delhi
(xiii) Secretary to the Minister Health & Social Welfare, Govt. of NCT of Delhi
(xiv) Secretary to the Minister Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
(xv) Private Secretary to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi

(Debashree Mukherjee)
Secretary, Social Welfare

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
राजकीय लेडी नौएसी स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–100 002.

सं०फा० 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06–07/ 1880–1891 दिनांक: 4/11/09

अधिसूचना

सं०फा० 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06–07/:– अधिसूचना सं० फा० 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06–07/9164–174 दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के अनुसार प्रकाशित "दिल्ली विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये बेरोज़गारी भत्ता एवं निर्वाह भत्ता योजना, 2008 " अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों की देखभाल करने वालों तथा विकलांग बेजरोजगार व्यक्तियों की सहायता के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**
(क) इन नियमों को विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये वित्तीय सहायता, 2009 कहा जाये।
(ख) ये नियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
(ग) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **लक्ष्य एवं उद्देश्य:**
1. विशेष जरूरत वाले उन बच्चों की देखभाल, जिनकी देखभाल करने के लिये अधिक लागत होती है।
2. अपंगता वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण एवं रोजगार सुगम बनाना ताकि वे समाज में अपनी भूमिका का भलीभाँति निभा सके और प्रतिष्ठा सहित जीवन यापन कर सके।
3. विशेष जरूरत की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति तथा उनके परिवार की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना।

3. **परिभाषाएं:–**
जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस योजना में,–

(क) "अधिनियम" का अर्थ अपंगता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1)।

(ख) "आवेदक" का अर्थ विशेष जरूरत वाला कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 0 – 60 वर्ष के बीच हो जिसने इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये आवेदन या उसके माता–पिता या विधिक अभिभावक के या पति/पत्नी या व्यक्ति के किसी वयस्क बच्चे ने इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है।

(ग) "आवेदन पत्र" का अर्थ इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन पत्र से है।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ पैराग्राफ 6 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी से है।

(ङ) "परिवार" का अर्थ माता–पिता यदि माता–पिता जीवित नहीं है तो कानूनी अभिभावक, यदि अवयस्क, अविवाहित बेरोजगार व्यक्ति, विवाहित अपंग व्यक्तियों की स्थिति में पत्नी/पति और अवयस्क या अपंग वयस्क बच्चे जो उस पर पूर्णतः आश्रित है।

(च) "वित्तीय सहायता" का अर्थ 60 वर्ष या व्यक्ति की मृत्यु तक, जैसी भी नियमों में निर्धारित हो, लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(छ) "अभिभावक" का अर्थ राष्ट्रीय न्यास में संदर्भित "कानूनी अभिभावक संबंधी पुस्तिका" में यथापरिभाषित है।

(ज) "अन्वेषक" का अर्थ समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी से है।

(झ) "विशेष जरूरत वाले व्यक्ति" का अर्थ है किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कम से कम चालीस प्रतिशत अपंगता से पीड़ित व्यक्ति से है।

(ञ) "अपंगता का अर्थ

(i) अंधता– उस स्थिति का उल्लेख करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों से पीड़ित है, अर्थात् :–

(क) पूर्ण नेत्र दृष्टि का अभाव, या

(ख) 6/60 से अधिक दृष्टि इक्ट्ठी न हो।

(ग) या क्रेकटिंग लेंस सहित अच्छी आंख 20/200 सनेलन से अधिक है।

(ii) न्यून दृष्टि का अर्थ उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के उपरांत भी दृष्टि कार्य प्रणाली की बाध्यता वाला कोई व्यक्ति, जो किसी कार्य के नियोजन या करने के लिये दृष्टि का प्रयोग कर सकता है या करने में समर्थ है ।

(iii) कुष्ठ रोग – का अर्थ कोई व्यक्ति जिसके कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका हो लेकिन निम्नलिखित से पीड़ित है :

(क) हाथों और पांवों का चेतना शुन्य होना तथा आंखो तथा पलकों को चेतना शुन्य करना और पक्षाधात लेकिन किसी प्रकार की प्रेरक विकृति नहीं है ।

(ख) दिखाई देने वाली (प्रकट) विकृति और आंशिक पक्षाधात लेकिन उसके हाथ पांव भलीभांति चल सकते हैं /काम कर सकते हैं ताकि वे सामान्य कामकाज कर सकें ।

(ग) अत्यन्त शारीरिक विकृति की उन्नत स्थिति जो उसे किसी लाभप्रद व्यावसाय करने से उसे रोकती है और अभिव्यक्ति "उपचार हुआ कुष्ठ" का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा ।

(iv) सुनने में बाध्यता – का अर्थ बारम्बारता के संवादात्मक क्षेत्रों में श्रेयस्कर कान में 60 डेसिबल या अधिक की क्षति :

(क) लोकोमोटर अपंगता का अर्थ हडिडयों , जोड़ो या मांसपेशियों की अपंगता जिसके कारण अंगों के हिलने डुलने में भारी बाधा आती हो या प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात का कोई रूप

(ख) प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात का अर्थ प्रसवपूर्व या प्रसवोत्तर या शिशु विकास की अवधि में मस्तिष्क आधात या चोट के परिणाम स्वरूप असामान्य प्रेरक नियंत्रण मुद्रा/आसन से प्रकट किसी व्यक्ति की उप्रगतिशील दशाओं का कोई समूह

(ग) आटिस्म धीमी गति से सीखना (आटिस्म) का अर्थ किसी व्यक्ति के सम्प्रेषण तथा सामाजिक योग्यताओं के मुख्यतः प्रभावित करने वाले अनियमित/कौशल विकास की दशा जो आवृत्ति मूलक या आनुष्ठानिक/रिटुयालस्टिक व्यवहार से ग्रस्त हो ।

(घ) मानसिक मंदबुद्दि का अर्थ किसी व्यक्ति के अनुरूद्द या अपूर्ण विकसित मस्तिष्क की दशा जो बुद्दि की कम सामान्यता को विशेषरूप से बताता हो ।

(ड) मानसिक रूग्णता का अर्थात् कोई निदान ,इलाज योग्य व्यवहार मदोदशा, विचार या संज्ञानात्मक विकार जो अपने ही समाज में रहने, कार्य करने, सीखने या पूर्णतः भाग लेने में बाधा डालता है या सीमित करता हो ।

4. पात्रता :

आवेदक निम्नलिखित शर्तों के पूरे करने पर वित्तीय सहायता का पात्र होंगी :–

(v) आवेदक 0–60 वर्ष की आयु के बीच के होंगे।

(vi) आवेदक एवं आवेदन पत्र देने की तिथि से पहले कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये दिल्ली का निवासी होगा।

(vii) आवेदक की उक्त धारा 3 (1)(ख) में यथापरिभाषित कम से कम चालीस प्रतिशत अपंगता होनी चाहिए।

(viii) आवेदक की सभी स्रोतो से 75,000/–रुपये (पिछत्तर हजार रुपये) से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय नहीं होगी।

(ix) आवेदक इलैक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम से भुगतान प्राप्त करने के लिये किसी बैंक में "एकल संचालित" खाता होगा। यह उपबंध अवयस्कों, मानसिक रूप से विकलांग उन बच्चें की स्थिति में शिथिलनीय होगें जो राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते है।

5. वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र

(क) इस नियमावली के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदक पत्र जीआरसी–एसके से उपलब्ध आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर किसी सक्षम उपायुक्त कार्यालय (जिला संसाधन केन्द्र) जिला समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्र का विधायक/सांसद, वित्तीय सहायता अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली को किए जाएंगे या सामाजिक सुविधा संगम या समाज कल्याण विभाग के सरकारी वेबसाइट से इलैक्ट्रोनिकली डाउन–लोड किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक विधिवत् भरा आवेदन–पत्र सम्बद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी/सीआरसी–एसके/डीआरसी यूनिट को निम्नलिखित प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

ii आवास का प्रमाण–पत्र जो दिल्ली में निवास की कम से कम पांच वर्ष की अवधि दर्शाता हो। परिवार के सदस्यों (यथा उक्त परिभाषित) में से किसी से संबंधित प्रलेखों में से कोई एक प्रलेख आवास प्रमाण के लिये प्रस्तुत किया जा सकेगा —

1. राशन कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक–जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
6. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक–जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
7. बीमा पॉलिसी कागजात
8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड
9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख
10. बिजली का बिल
11. पानी का बिल
12. टेलिफोन का बिल
13. गैस कनेक्शन की रसीद
14. बैक की पासबुक
15. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
16. विद्यार्थी पहचान पत्र
17. सार्वजनिक/प्राइवेट सैक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड
18. स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र
19. पेंशन कागजात
20. भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र
21. संपत्ति दस्तावेज
22. कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे दिल्ली में पाँच वर्ष रहना स्पष्ट हो।

(iii) यदि लाभग्राही ऐसा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी को पूर्वोक्त रोजगार मिलने पर/अपंगता स्थिति के परिवर्तन होने की तिथि से दी गई भत्ता/धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।

9. **वित्तीय सहायता रोकना:**

1. सक्षम प्राधिकारी को सहायता के भुगतान को बंद करने/सहायता को रोकने का अधिकार होगा, यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि यह झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर स्वीकृति दी गयी या जिस शब्द के लिए सहायता दी गई थी वह अब समाप्त हो चुकी है।

2. यह भी, यदि सहायता झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंजूर की गई थी तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले लोगों के विरूद्ध उपयुक्त देनदारी नियत की गई।

3. यदि कोई व्यक्ति व्यसायिक मांग का सहारा लेता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो तथा उसे चेतावनी दी गई हो या न्यायालय द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही हो तो सहायता राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. लाभग्राही की मृत्यु होने पर भुगतान की जाने वाली सहायता बन्द की जाएगी तथा यदि व्यकित किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पूर्व मर जाता है तो राशि समाप्त हो जाएगी।

10. **पते में परिवर्तन:**

1. आवेदक पते में किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी आवास के प्रमाण सहित पते के ऐसे परिवर्तन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को एक माह के भीतर सूचित करेगा।

2. दिल्ली से बाहर स्थायी रूप से स्थानांतरित होने वाले व्यक्ति इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।

11. **अपीलीय प्राधिकारी:**

किसी शिकायत की स्थिति में आवेदक समाज कल्याण विभाग के निदेशक को इस संबंध में अपनी शिकायत के समाधान हेतु अपील कर सकते हैं। निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. **विविध :**

(क) 60 वर्ष की आयु होने पर लाभग्राही स्वतः वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो जायेंगे।

(ख) यदि आवेदक ने "सामाजिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग—वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" योजना के अधीन पहले से ही सहायता प्राप्त कर रहा हो तो उसे फिर भी इन योजनाओं के अधीन सहायता जारी रखी जाएगी, यदि वे अन्य पात्रता मापदंड को पूरा करते हो।

(ग) वित्तीय सहायता की निम्नलिखित योजनाओं से सहायता पाने के इच्छुक लाभग्राहियों को वंचित नहीं किया जाएगा— लाडली, जन श्री बीमा योजना दिल्ली असहाय महिला पेंशन स्कीम वृद्धावस्था पेंशन, विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, विधवाओं की कन्याओं के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग में विद्यमान अन्य वित्तीय सहायता योजनाएं तथा साथ—साथ तथा बाल विकास योजना शर्त यह है कि मानकों को पूरा करते हो।

(घ) इस योजना का प्रति तीन वर्ष में एक बार समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाएगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

देवश्री मुखर्जी

(देवाश्री मुखर्जी)
सचिव (समाज कल्याण)

सं0फा0 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06-07/1880-91 दिनांक: 4/11/09

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
4. सचिव, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
5. सचिव, खाद्य एवं संभरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सचिव, समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

देबाश्री मुखर्जी

(देबाश्री मुखर्जी)
सचिव (समाज कल्याण)